राजस्व प्रार्थना पत्र 46/2024
जीसीएमएसम नंबर 2024/159
सीता देवी बनाम् सरकार

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीया को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि सीता देवी एवं बीरमा दोनो एक ही महिला है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम अजबपुरा के खाता संख्या 57 में दर्ज खातेदार नाम बीरमा पत्नी बीरबलराम के स्थान पर वास्तविक नाम सीता देवी पत्नी बीरबलराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–: : आदेश : : –**

यत् प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम अजबपुरा के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 57 में दर्ज खातेदार नाम बीरमा पत्नी बीरबलराम के स्थान पर वास्तविक नाम सीतादेवी पत्नी बीरबलराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोट–

1. तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
2. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेंगें(रहन होने की स्थिति में)। सबंधित बैंक सूचित हो।

यह आदेश आज दिनांक 28·11·24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (उ.अ.) जायल